Continuation Note Sheet

29.11.24 वकील वादीगण / उपस्थित / तहसीलदार श्री रामनारायण से विभागीय मुकदमा प्रारम्भ हुआ। वकील वादीगण द्वारा तहसीलदार श्री रामनारायण द्वारा पेश मुकदमा पर आपत्ति जाहिर करते हुए मुवाजिब मुआवजा बाद डिक्री किसान का निर्धारण किया जाकर पुनर्मूल्यांकन की प्रार्थना की गई निर्णय निर्धारण आवश्यक है।

No objection

आवश्यक पुनर्मूल्यांकन हेतु बाद वादीगण मुवाजिब मुआवजा स्वीकार किया जाकर निर्धारण पुनर्मूल्यांकन के लिए पुनर्मूल्यांकन किया जाकर स्टाम्प ड्यूटी महा होने पर डिक्री पश्चात जारी किया जाने पुनर्मूल्यांकन हेतु तहसीलदार को दिनांक तक पालना करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

वादी द्वारा निर्धारित किसान आवश्यक की पालना में स्टाम्प-ड्यूटी महा होने पर पुनर्मूल्यांकन महा हुई व स्टाम्प ड्यूटी महा हुई डिक्री पश्चात जारी किया जाकर पुनर्मूल्यांकन युक्तानुसार तहसीलदार को निर्देशित है।